



आरबीआई/2024-25/70

विवि.एएमएल.आरईसी.42/14.06.001/2024-25

27 अगस्त 2024

सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी

महोदया/महोदय,

यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन: 01 प्रविष्टि में संशोधन

कृपया [‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 25 फरवरी 2016](#) (04 जनवरी 2024 को यथासंशोधित) के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें। निर्दिष्ट धारा के अनुसार यह सूचित किया गया है कि "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका वाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता न हो, जिनके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची में शामिल हो।"

2. इस संबंध में, विदेश मंत्रालय (एमईए), भारत सरकार द्वारा 23 अगस्त, 2024 को जारी यूएनएससी प्रेस विज्ञप्ति एससी/15800 के बारे में सूचित किया है, जिसमें सुरक्षा परिषद समिति द्वारा आईएसआईएल (दाएश), अल-कायदा और संबंधित व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और संस्थाओं से संबंधित संकल्प 1267 (1999), 1989 (2011) और 2253 (2015) के अनुसरण में सुरक्षा परिषद के संकल्प 1904 (2009) के अनुसरण में स्थापित ओम्बड्समैन के कार्यालय के माध्यम से प्रस्तुत इस नाम के लिए डी-लिस्टिंग अनुरोध पर विचार करने के बाद, और इस डी-लिस्टिंग अनुरोध पर ओम्बड्समैन की व्यापक रिपोर्ट के बाद आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची से नीचे की प्रविष्टि को हटा दिया गया।

ए. व्यक्ति

क्यूडीआई.070 नाम : 1: YASSINE 2: CHEKKOURI 3: na 4: na

नाम (मूल लिपि): ياسين شكوري

Title: na पदनाम : na जन्मतिथि: 6 Oct.1966 जन्म स्थान : Safi, Morocco Good quality a.k.a.:

na Low quality a.k.a.: na राष्ट्रियता:: Morocco पासपोर्ट संख्या: Morocco number F46947

National identification no: Morocco H-135467

3. संकल्प 2610 (2021) के पैराग्राफ 58 के अनुसार, समिति ने अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित यूआरएल पर उपर्युक्त प्रविष्टियों को सूचीबद्ध करने के कारणों का विवरणात्मक सारांश उपलब्ध कराया है:

विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं/ 13वीं मंज़िल, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई- 400001  
टेलीफोन/ Tel No: 22661602, 22601000 फैक्स/ Fax No: 022-2270 5691  
Department of Regulation, Central Office, Central Office Building, 12<sup>th</sup>/ 13<sup>th</sup> Floor, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400001

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए

"Caution: RBI never sends mails, SMSs or makes calls asking for personal information like bank account details, passwords, etc. It never keeps or offers funds to anyone. Please do not respond in any manner to such offers."

[www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq\\_sanctions\\_list/summaries](http://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries).

4. उपर्युक्त के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति, दिनांकित 23 अगस्त 2024,

<https://press.un.org/en/2024/sc15800.doc.htm> पर देखी जा सकती है। इसके अलावा, सूची में संशोधन से संबंधित यूएनएससी की प्रेस विज्ञप्तियां यूआरएल पर उपलब्ध

है: <https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/press-releases>

5. प्रतिबंध उपायों और छूटों का विवरण निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध

है: [https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267#further\\_information](https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267#further_information)

6. उपर्युक्त को देखते हुए, विनियमित संस्थाओं (आरई) को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 02 फरवरी 2021 (29 अगस्त 2023 को संशोधित) यूएपीए आदेश में निर्धारित प्रक्रियाओं का सख्ती से अनुपालन करें तथा अपने ग्राहक को जानिए पर हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 के अनुसार उचित कार्यवाही करें।

7. आईएसआईएल (दाएश), अल-कायदा और तालिबान से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं की अद्यतन सूची निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

[www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq\\_sanctions\\_list](http://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list)

<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988/materials>

8. इसके अलावा, गृह मंत्रालय (एमएचए) के अनुदेशों के अनुसार, किसी भी विनियमित संस्था (आरई) द्वारा असूचीयन (डीलिस्टिंग) के लिए प्राप्त किसी भी अनुरोध को विचार के लिए संयुक्त सचिव (सीटीसीआर), एमएचए को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अग्रेषित किया जाना आवश्यक है। सुरक्षा परिषद की आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा मंजूरी सूची से हटाए जाने की मांग करने वाले व्यक्ति, समूह, उपक्रम या संस्थाएं एक स्वतंत्र और निष्पक्ष ओम्बड्समैन को असूचीयन के लिए अपना अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा नियुक्त किया गया है। अधिक विवरण निम्न यूआरएल पर उपलब्ध हैं:

<https://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson/application>

9. आरई को सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त यूएनएससी पत्राचार पर ध्यान दें और सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीया

(वीणा श्रीवास्तव)

मुख्य महाप्रबंधक